

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

३२५

बनाम

नारायण

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 67/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
04/03/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती 325 पिता हरिप्रसाद गाडरी-देवीलाल दत्तकपुत्र नारायण गाडरी श्रीमती श्री अन्या पिता रत्ना गाडरी-बाबूलाल पिता हरलाल गाडरी- श्रीमती सुखीदेवी पत्नी शंकरलाल शर्मा निवासी- पाण्डोली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम पाण्डोली स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर. $\frac{357}{0.02}$ $\frac{358}{0.08}$ $\frac{359}{0.24}$ $\frac{360}{0.12}$ $\frac{361}{0.48}$ $\frac{362}{0.24}$ $\frac{356}{0.80}$ $\frac{355}{0.20}$</p> <p>कुल कीता 08 कुल रकबा 2.18 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी को आराजी ने दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम पाण्डोली स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर $\frac{357}{0.02}$ $\frac{358}{0.08}$ $\frac{359}{0.24}$ $\frac{360}{0.12}$ $\frac{361}{0.48}$ $\frac{362}{0.24}$ $\frac{356}{0.80}$ $\frac{355}{0.20}$</p> <p>कुल कीता 08 रकबा 2.18 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलान्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1500/- रुपये अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>